# फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या 210/2022

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 6/7/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रथम पक्ष की ओर से बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 10/7/23 को पेश हो। | |
| | 10/7/23 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] के आदेश पूर्वानुसार [illegible] दिनांक 17/7/23 को पेश हो। | |
| | 17/7/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पूर्वानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 24/7/23 को पेश हो। | |
| | 24/7/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। [illegible] 1 व 3 [illegible] के अन्तर्गत [illegible] बार-बार [illegible] किया लेकिन कोई उपस्थित नहीं। अतः [illegible] 1 व 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही [illegible] पत्रावली का [illegible] किया जाकर आदेश के लिये [illegible] पत्रावली का अवलोकन करते व वकील उभय पक्ष की बहस [illegible] | |

# फर्द अहकाम

श्री प्र. मालवी बनाम कैलीलाल वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 210/2022

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | कहने एवं सरकार पैरोकार के जवाब का अवलोकन करने पर प्रार्थी का श्री.एम. अन्तर्गत धारा 251 A आर.टी.एक्ट को स्वीकार करना उचित नजर आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A आर.टी.एक्ट को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखी जाकर शामिल किया जाता है। नकलात्मक कोपल शुमार होकर नकल के काम के तथा बाद प्रति होकर दाखिल दफ्तर हो। 24/7/23 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर | |